



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति (69/26, दिनांक 19.09.2026)

माननीय माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर ने दिया ऐतिहासिक आदेश:

प्रकरण की होगी प्रतिदिन सुनवाई

काले हिरण व चिंकारा का शिकार करने वाले संगठित गिरोह के मुंबई निवासी आरोपी की तृतीय जमानत याचिका खारिज

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, मध्यप्रदेश (MPSTSF) द्वारा वन्यजीव संरक्षण और वन्य अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक बड़ी सफलता प्राप्त की गई है। माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर के द्वारा कई वन्यजीवों के शिकार को अत्यधिक गंभीर माना है एवं प्रकरण में अंतरराज्यीय तस्कर सलमान, निवासी मुंबई की तीसरी जमानत याचिका (MCRC No. 42595/2026) को खारिज कर दिया।

MPSTSF की इंदौर इकाई के द्वारा विवेचना किए जा रहे वन अपराध क्रमांक 675/09 दिनांक 03/12/2024, जिसमें भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 52/26 (1) (I) तथा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 16 (C)/ 39(1) A, B, 40 (2), 44(1) A के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी सलमान को 3 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी और उसके साथियों से कब्जे से 64.70 किलोग्राम काले हिरण (ब्लैक बग) का मांस, अवैध पिस्टल 01 नग, जिंदा कारतूस 03 नग तथा शिकार में प्रयुक्त चार पहिया वाहन टोयोटा इनोवा जप्त की गई थी।

MPSTSF द्वारा की गई जांच के दौरान आरोपियों के मोबाइल फोन से चीतल और काले हिरण के शिकार से जुड़े तस्वीरें और वीडियो क्लिप बरामद किए गए थे, जिनमें आरोपी मृत वन्यजीवों के साथ देखा गया। इसमें संगठित गिरोह की संलिप्तता की पुष्टि हुई है, जिसने भारी मात्रा में शाकाहारी वन्यजीवों का शिकार प्रदेश के उज्जैन, भोपाल, नर्मदपुरम, सागर एवं इंदौर वनवृत अंतर्गत कई जिलों/वनमंडलों से किया था।

सुनवाई के दौरान आरोपी की तरफ से **20 माह से अधिक समय से जेल में निरुद्ध रहने एवं प्रकरण के विचारण में समय लगने का हवाला देते हुए जमानत मांगी गई थी।** STSF द्वारा शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रकरण के तथ्य मजबूती के साथ रखते हुए प्रकरण के शीघ्र विचारण हेतु निवेदन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने बेजुबान और संरक्षित वन्यजीवों की क्रूरतापूर्वक हत्या तथा इस तरह के कृत्य के फोटो/वीडियो बनाने को अत्यंत गंभीर मानते हुए आरोपी को राहत देने से इंकार कर दिया।

माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए विचारण न्यायालय (Trial Court) को **दैनिक आधार (day-to-day basis) पर सुनवाई कर प्रकरण का शीघ्र निपटारा करने** का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है, ताकि गवाहों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स वन्यजीवों के अवैध शिकार और व्यापार के खिलाफ अपनी सख्त कार्रवाई और ज़ीरो-टॉलरेंस नीति जारी रखेगी।

अधिकृत अधिकारी

कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)

(कक्ष- एसटीएसएफ)

मध्यप्रदेश, भोपाल